

# नगर पालिका, चाकसू

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/CHAKSU/FIRENOC/2025-26/65004  
जारी दिनांक: 09-MAR-2026 वैधता दिनांक: 08-MAR-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: VIKESH KHOLIA  
आवेदक का पता: MANAV PG MHAVIDHALAY TONK ROAD CHAKSU

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन MANAV PG MAHAVIDHYALAY, 0, TONK ROAD, CHAKSU, CHAKSU, JAIPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थाई (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से वैधता दिनांक तक ही मान्य होगा। वैधता दिनांक के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
2. अग्निशमन वाहन आसानी से आ एवं जा सकें इसके लिए खुला और अवरोध रहित रास्ता रखना होगा।
3. निरीक्षण के दौरान दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी।
4. अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल मात्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए नक्शे के लिए ही मान्य होगा।
5. भवन में फायर सिस्टम हमेशा कार्यशील स्थिति में रखना आवश्यक होगा व अग्निशमन उपकरणों को समयावधि में रिफिल करवाना होगा।
6. भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने पर प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।
8. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अतिज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
9. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व फायर पम्प 24 घंटे कार्यशील अवस्था में रखने के लिए बाध्य होंगे।
10. यदी राज्य सरकार या नगर पालिका द्वारा भविष्य में कोई नियम या उपनियम जारी किया जाता है। तो प्रबंधक को मान्य होगा।
11. ६ भूमि व भवन संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. भूमि व भवन संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. यह अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
14. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा एएमसी करवायी जाकर सिस्टम का रख-रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
15. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टॉवर में टॉवर की ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना अनिवार्य होगा।
16. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफ-टॉप रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, वहां पर रूफ-टॉप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



Signed by: Banwari Lal Meena  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: CHAKSU, Rajasthan  
Date: 09/03/2026 20:59:59

अग्निशमन अधिकारी  
नगर पालिका, चाकसू